कार्यालयः- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांकः-स्था०/2026/207 दिनांकः- 26/10/2026

-: आ दे श :-

राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापना नियम 1986 यथासंशोधित दिनांक 14.09.2024 के नियम 14क में किये गये संशोधन के आधार पर इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्न कार्मिक जिनकी दिनांक 01.06.2002 दो से अधिक संतानें होने के कारण पदोन्नति से निरर्हित किया गया था। उन्हें न्यायक्षेत्र में शैरिस्तेदार ग्रेड-I/रीडर ग्रेड-I एवं कार्यालय सहायक/शैरिस्तेदार ग्रेड-II/रीडर ग्रेड-II के पद रिक्त नहीं होने से भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर निम्न कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश क्रमांक स्था./2026/30 दिनांक 23.01.2026 जारी किया गया था। वर्तमान में न्यायक्षेत्र में उक्त पद रिक्त हो चुके है।

अतः उक्त आदेश की निरन्तरता में कर्मचारीगण की पदोन्नति शैरिस्तेदार ग्रेड-I/रीडर ग्रेड-I की निर्धारित वेतन श्रृखंला एल-11, पे-मेट्रिक्स-37800-119700 (ग्रेड पे-4200) में, कार्यालय सहायक/शैरिस्तेदार ग्रेड-II/रीडर ग्रेड-II की निर्धारित वेतन श्रृखंला एल-10, पे-मेट्रिक्स- 33800-106700 (ग्रेड पे-3600) में एवं शैरिस्तेदार ग्रेड-III/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I की निर्धारित वेतन श्रृखंला एल-8, पे-मेट्रिक्स-26300-83500 (ग्रेड पे-2800) में निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम मय पद	लिपिक ग्रेड-I/ शैरिस्तेदार ग्रेड-III /रीडर ग्रेड-III के पद पर पदोन्नति की दिनांक	कार्यालय सहायक/ शैरिस्तेदार ग्रेड-II/ रीडर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति की दिनांक	शैरिस्तेदार ग्रेड-I/ रीडर ग्रेड- I के पद पर पदोन्नति की दिनांक
1.	श्री विनोद कुमार शैरिस्तेदार ग्रेड-II	--	01.05.2018 से 31.12.2020 तक	01.01.2021 से निरन्तर
2.	श्री हरिकिशन महावर शैरिस्तेदार ग्रेड-II	01.05.2007 से 05.08.2018 तक	06.08.2018 से 31.10.2022 तक	01.11.2022 से निरन्तर
3.	श्री विजय सिंह लिपिक ग्रेड-I	01.05.2012 से 05.02.2020 तक	06.02.2020 से निरन्तर	--
4.	श्री वीरेन्द्र शर्मा शैरिस्तेदार ग्रेड-III	02.05.2013 से 05.03.2020 तक	06.03.2020 से निरन्तर	--

नोट :-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा राजस्थान सरकार के द्वारा भविष्य में कोई आदेश/निर्देश दिए जाने या अन्य कारण से भी उक्त आदेश परिवर्तनीय होगा।
2. उक्त कर्मचारीगण का वेतन नियतन संबंधित कार्यालय द्वारा किया जावेगा, उनको उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता पर पुनः नियत किया जायेगा किन्तु कोई बकाया संदत्त नही किया जायेगा। पदोन्नति का नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।
3. उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण के सेवाभिलेख में किया जावे।
4. पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।
5. उक्त कर्मचारीगण की वरीयता तद्नुसार पुनः प्रतिस्थापित होगी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांक- स्था./2026/ 3612-3619 दिनांक- 21/10/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, धौलपुर/बाड़ी
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़ी
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/3 बाड़ी
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, धौलपुर
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सरमथुरा
6. सर्वश्री विनोद कुमार/हरिकिशन महावर/विजय सिंह/वीरेन्द्र शर्मा
7. व्यक्तिगत पत्रावली सर्वश्री विनोद कुमार/हरिकिशन महावर/विजय सिंह/वीरेन्द्र शर्मा
8. आदेश/संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर